विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** सायलान के वाद–पत्र, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायल ने वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण/गैरसायलान प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। चुंकि सायल द्वारा कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में गैरसायल संख्या 1 द्वारा सायल के हक हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में गैरसायल संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण कर रखा है या नहीं यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में सायल यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में है। फलतः यह बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के विरूद्ध साबित हुआ है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में गैरसायल संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण कर रखा है या नहीं यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं है। अतः यह बिंदू भी सायल के विरूद्ध साबित हुआ है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण जिला–ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण जिला–ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)